विषय –शालेय संस्कृति, प्रबंधन एवं शिक्षक

बी.एड. द्वितीय वर्ष

पेपर – 5, इकाई – 2

प्रकरण – संविधान के अनुरूप शालेय शिक्षा पर केन्द्र व राज्य का नियंत्रण।

Control with reference to Education

प्रस्तावना –

किसी भी शाला की कार्यप्रणाली व गुणवत्ता की जानकारी व प्रभावशीलता के लिये शाला के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। यह क्षेत्र को हम निम्न प्रकार से देख सकते है –

1- School Plant – Building, Playground, Laboratory, Library, Reading room, furniture, equipments etc.
2- Students
3- Teachers
4- Headmaster/ Principal
5- Syllabus
6- Text books
7- School uniform
8- Co-curricular activities
9- Exams
10- Periodic inspection

इसके अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र व पहलू है जो शालेय प्रभावशीलता में बदलाव के लिए उत्तरदायी होते है। इन क्षेत्रों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रशासकीय	**अकादमिक / शैक्षिक**
शाला भूमि	पाठ्यक्रम
शालेय ढ़ांचा	पाठ्यपुस्तकें
कर्मचारी चयन व स्थापना	स्टाफ की गुणवत्ता / योग्यता
विद्यार्थी प्रवेश	मूल्यांकन
शाला गणवेश	गतिविधियां
परीक्षा	सेवाकालीन प्रशिक्षण
निरीक्षण	संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि।

केन्द्र शासन द्वारा शैक्षिक नियंत्रण

शासकीय शालाएं –

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न नवीन प्रकार की शालाओं को खोला व उन्नत किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय – केन्द्रिय सेवारत कर्मचारीओं के पाल्यों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर अच्छा infrastructure, कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था को निर्धारित करता है।

नवोदय विद्यालय – ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होता है। इस प्रकार के विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलता है। इस प्रकार के विद्यालय का सभी प्रकार का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हैं व गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है।

सैनिक शालाएं – केन्द्रीय रक्षा मत्रांलय के द्वारा बच्चों को मेरीट के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जाती है, इस प्रकार के विद्यालय का मुख्य उददेश्य प्रतिभाशाली बच्चों को सेना व रक्षा सेवा के लिए तैयार व प्रोत्साहित करना है।

Open Schools – साथ ही 1989 में कई नवीन विद्यालयों की स्थापना की गई जैसे Open Schools, National Open Schools स्थापित किये गए, MHRD के अंर्तगत स्वायत्तशासी संस्थाएं होती है। यह राज्य व केन्द्र सरकार का संयुक्त प्रयास होता है।

कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय – विशेषतः पिछड़ें व दुरस्थ पहुंच वाले क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किए गए है।
मॉडल स्कूल – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष शालाओं की स्थापना की गई।

CBSC Schools – 1979 से नियमित, गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा, जीवन संमृद्धि के लिए शिक्षा एवं विभिन्न शैक्षिक कोर्सेस के साथ इन शालाओं की स्थापना की गई। साथ ही लगभग 1000 से भी अधिक अभ्यास केन्द्र Study Centres बनाए गए है।

इस प्रकार केन्द्र शासन द्वारा शासित शालाओं का समस्त प्रबंधन, वित्तिय व्यय, नीतियां, आवश्यकताओं व अवसरों संबंधी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित होता है।

राज्य शासन द्वारा शालेय नियंत्रण –

शालेय स्तर पर राज्य शासन के द्वारा शासकीय शालाएं स्थापित, विकसित एवं उन्नत की जाती है। इन शालाओं से संबधित सभी प्रशासकीय एवं अकादमिक नियंत्रण अपने विभिन्न संस्था/निकायों व विभागों के माध्यम से राज्य सरकार करती है। जैसे – सचिवालय, राज्य शिक्षा बोर्ड, पाठ्यपुस्तक निगम या बोर्ड, SCERT, IASE, CTE, DIET इत्यादि।

इन निकायों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं गतिविधियां की जाती है। राज्य जन सेवा आयोग, सचिवालय एवं निदेशालयों के माध्यम से Staff का चयन, भर्ती, व्यवसायिक विकास, गुणवत्ता वृद्धि इत्यादि कार्य करते है।

राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम शासकीय शालाओं की नीतियों, परीक्षा प्रमाणपत्र या विधार्थी ब्यौरा जैसे इत्यादि कार्य किए जातें है।

पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा शालेय पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, बदलाव, उन्नत व स्वीकृत करने का कार्य करता है।

SCERT के द्वारा शाला को अकादमिक सहायता के अंर्तगत सेमिनार, प्रशिक्षण, कार्यशाला के माध्यम से गुणवत्ता विकास का कार्य करती है व केन्द्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करती है।

IASE & CTE के द्वारा माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर योजनाओं को लागु करनें व अकादमिक गुणवत्ता विकास में सहायक होते है साथ ही शोध व उन्नत कार्य करनें में सहभागिता देते है।

DIET के द्वारा प्राथमिक स्तर पर शालाओं को सहायता प्रदान करते है।

राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम शालेय शुल्क का निर्धारण, केन्द्र की योजनाओं स्तरवार शालाओं में लागू करने की जवाबदेही

होती है। बालिकाओं व विशेष क्षेत्र के SC, ST, OBC इत्यादि के शुल्क में छुट, छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करती है।

इस प्रकार राज्य सरकारें शैक्षिक कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें समान शैक्षिक अवसर प्रदान करनें व वित्तिय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।

गैर सरकारी शालेय निकायों का नियंत्रण

शासन द्वारा पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में निजी नियंत्रण से तात्पर्य है कि शालाओं की स्थापना, भूमि, कुछ नितियो का निर्धारण में प्रशासन की अनुमति से शालेय संचालन निजी प्रबंधकों द्वारा कियाजाता है।

अर्थात भारत का संविधान शिक्षा के क्षेत्र में द्वि–प्रणाली को दर्शाता है।

1. शासकीय शालाओं का संचालन
2. निजी निकायों द्वारा संचालित शालाएं।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने का अधिकार देती है। धारा 29 के अनुस्प कोई भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय के आाधार पर किसी भी शासन पोषित या अनुदान प्राप्त शालाओं में प्रवेश से रोका नही जा सकता है। परन्तु निजी निकायों में तत्संबंधी कुछ नीतियों में चयन की सुविधा दी गई है।

यद्यपि संविधान में अधिनियम 19 (1) में नागरिकों को किसी भी व्यवसायों या ट्रेड को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। अतः सविधान शिक्षा में समता एवं समानता के उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्रों के निकायों को स्थापित करने एवं लाभ उठाने की अनुमति देता है।

शिक्षा में निजी निकायों कों शासन द्वारा भी उनकी शालाओं की गुणवत्ता, संख्या, शिक्षकों व उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहित करती है। जिसके कारण वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत संस्थानों को देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता के समय माध्यमिक स्तर पर लगभग 18 लाख विद्यार्थी प्रवेशित थे, जबकि 1995–96 में 49.7 लाख विद्यार्थी नामांकित हुए, अर्थात 42 गुणा अधिक विद्याार्थी । 1950–51 में लगभग 1,26,504 माध्यमिक स्तर के शालाओं के शिक्षकों की संख्या थी जो 1995–96 में 14,73,251 हो गई अर्थात 12 गुणा से ज्यादा वृद्धि हुई। 1950–51 में माध्यमिक शालाओं की संख्या 7,298 थी, जो 1995–96 में माध्यमिक शालाएं 71,065 तथा उच्चतर माध्यमिक शालाएं 23,588 (MHRD 1998) हो गई।

इस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय माध्यमिक शालाओं के लिए 13 प्रतिशत व 6वी योजना के समय तक 25 प्रतिशत तक आंबटन में वृद्धि हुई। जबकि शैक्षिक बजट में इसके अनुपात में 8वी योजना में केवल 16 प्रतिशत तक ही बजट रखा गया। अतः उक्त आंकड़ों से पता चलता है कि –

- शालाओं व शिक्षकों की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि हुई।
- शिक्षकों व शालाओं की संख्या में वृद्धि की तुलना में विद्यार्थियो की संख्या में 4 गुणा अधिक वृद्धि हुई है।
- शाला, शिक्षक एवं विद्यार्थी की संख्यां में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- प्राथमिक व उच्चतर शिक्षा की तुलना में माध्यमिक शिक्षा में बजट आंबटन तुलनात्मक रूप से कम है।

अतः शिक्षा के क्षेत्र में निजी निकायों के प्रवेश के लिए अवसरों को उत्पन्न व अनुमति प्रदान की गई।

शिक्षा में निजी निकायों की आवश्यकता –

संवैधानिक प्रावधानों के अलावा और कई ऐसे तथ्य है जो निजी निकायों को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने का अवसर देते है। जैसे – शिक्षा के विकास में शासकीय ढ़ांचे की असमर्थता इत्यादि। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं जैसे भारत के स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा में निजी क्षेत्रों द्वारा शिक्षा के संदर्भ में ग्रांट इन एड पालिसी विकसित की गई थी।

कुछ विशेष शालाओं जिन्हें पब्लिक शाला कहा जाता हैं, को खोला गया जो मुख्यतः तात्कालिन शासन के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेषतः सुविधा आधारित व्यवस्था दी गई थी। इस तरह निजी शालाओं का प्रावधान स्वतंत्रता के पूर्व भी था।

निजी शालाओं के प्रकार –

निजी शालाओं के स्थापित होने के निम्न कारण हो सकते है –

- संविधान में नागरिकों को शाला चयन के और अधिक स्वतंत्रता व सुविधा प्रदान करना।
- माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं इसमें शासकीय तंत्र की असफलता ।

- स्वतंत्रता के पूर्व से निजी निकायों द्वारा स्थापित ढ़ांचे की उपस्थिति का होना।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में निम्न प्रकार के निजी शालेय निकायों की स्थापना हुई है –

1. **शासन अनुदान प्राप्त निजी शालाएं**
2. **पूर्णतः निजी** या बिना शासन के अनुदान प्राप्त प्राइवेट शालाएं।

यह शालाए भी दो प्रकार की होती है – वे जो इंडियन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हो या न हों।

यहां पब्लिक शब्द से भ्रम पैदा होता है क्योंकि Public शब्द का शाब्दिक अर्थ जनता होता है। पूर्व में बताया जा चुका है कि शालाओं पर नियंत्रण दो प्रकार का होता है – Public control & Private control जिसमें पब्लिक नियत्रंण की शालाएं शासन द्वारा संचालित शालाएं होती हैए तथा प्राइवेट शालाएं दो प्रकार की एक शासन द्वारा अनुदान प्राप्त व दूसरे पूर्णतः निजी नियंत्रण की शालाएं होती है। दूसरे प्रकार की शालाएं जो पूर्णतः निजी होती है, इन्हें पब्लिक स्कूल भी कहा जाता है। जो समाज के आवश्यकता, मांग एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर गुणवत्ता पूर्ण अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखती है।

1. शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाएं – शासकीय शालाओं के अलावा माध्यमिक शिक्षा की जवाबदेही एवं विद्यार्थियों की संख्या को व्यवस्थित करने इस प्रकार की शालाओं को स्थापित किया गया । लगभग 95 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी शासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में नामांकित है। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में स्टाफ चयन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी हाथो में होती है। परन्तु ये शासकीय वित्तिय एवं अकादमिक नियमों को लागू करते है। इस प्रकार शैक्षिक या अकादमिक नियंत्रण सरकार के हाथों में एवं प्रबंधन निजी हाथों में होता है। सरकार का पूरा नियंत्रण शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, शैक्षिक गतिविधियों एवं आवधिक निरिक्षण पर होता है।

2. निजी शालाएं जो इंडियन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हो – सभी प्रकार का प्रबंधकीय कार्य बोर्ड परीक्षाओ को छोड़कर निजी निकायो के हाथों में होता है। इनमें शैक्षिक गतिविधियां बोर्ड के द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होती है। इस प्रकार की शालाओं में अपनें संसाधनों जैसे टयूशन

शुल्क, डोनेशन व अन्य को जुटाने का स्वतंत्रता रहती है। इस पर सरकार का नियंत्रण नही रहता है वे अपने अनुसार शैक्षिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते है। इन शालाओं का प्रषासन व प्रबंधन पुर्णतः अभिभावकों के चयन व भारी–भरकम शुल्क पर आधारित होता है।

3. निजी शालाएं जो इंडियन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्य न हो – इन्हें पब्लिक स्कूल भी कहा जाता है। ये वे अंग्रेजी माध्यम की शालाए होती है जो शासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं की अपेक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार की शाला शासकीय बोर्ड की बजाय किसी अन्य Affiliated board को व उसके मानकों पर आधारित शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करते है।इन शालाओं में शिक्षकों के वेतन व जॉब सिक्यूरिटी में कोई निर्धारित मानको का पालन नही किया जाता है। यह पूर्णतः व्यवसायिक लाभों के लिए संचालित संस्थाएं होती है।
जैसे – कोचिंग संस्थान, पब्लिक शालाएं, ICSC इत्यादि।

संदर्भ – Self Instructional Material Bhoj Open University.
Indian Education By R P Singh

————————————————————————